



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3726/2025

1. Kamla Devi Wife of Late Harnarayan, Age 68 Years, (Wife of The Deceased)
2. Hetram Son of Late Harnarayan, Age 35 Years, (Son of The Deceased)
3. Mahesh Yadav Son of Late Harnarayan, Age 32 Years, (Son of The Deceased)
4. Om Prakash Yadav Son of Harnarayan, Age 29 Years, (Son of The Deceased)

All Resident of Village Machdi, Police Station And Tehsil Malakheda, District Alwar, Rajasthan.

----Appellants-Claimants.

Versus

1. Mahaveer Prasad Son of Shri Nathuram, Resident of Aabavas, Police Station Ringas, District Sikar, Rajasthan, Driver And Registered Owner Vehicle Motorcycle Number-R.J.-23-R.S.5219.
2. Tata AIG General Insurance Company Ltd., Branch Office 205-208, Green House, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur-302001. Through Manager, Insurer Vehicle Motorcycle No. R.J.-23-R.S.-5219.

----Respondents-Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Rajani Vyas, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-13/2023, कमला देवी व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य में पारित



निर्णय दिनांक 23.05.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में हरनारायण की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 61,10,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण द्वारा याचीगण को कुल 5,14,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय 7,500/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना मृतक खेतीबाड़ी कर प्रतिमाह 20,000/- रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 30.05.2022 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को खेतीबाड़ी कर 20,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु



अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय की आय संबंध में कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की मासिक आय 7,500/- रुपये निर्धारित की गई है। विद्वान अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा मृतक की यही आय हम निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना मृतक को 66 वर्ष आयु का होना बताया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में केवल 50 से 60 वर्ष तक की आयु तक के व्यक्तियों की आय में भविष्य-वृद्धि किये जाने का प्रावधान किया गया है। चूंकि वक्त घटना मृतक की आयु 67 वर्ष होना निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय मृतक की भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं समझती है। इस प्रकार मृतक की कुल निर्धारित मासिक आय 7,500/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल चार आश्रित होना बताया गया है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा केवलमात्र मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को तथा मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या-4 को मृतक पर आश्रित होना मानते हुए, मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गयी है। जबकि मृतक के दो अन्य पुत्रों अपीलार्थी संख्या-2 व 3 को भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित होना मानते हुए कटौती की जानी चाहिए थी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Company Ltd. Vs. Birender & Ors.** reported in **(2020) 11 SCC 356** में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"14. It is thus settled by now that the legal representatives of the deceased have a right to apply for compensation. Having said that, it must necessarily follow that even the major married and earning sons of the deceased being legal representatives have a right to apply for compensation and it would be the bounden duty of the Tribunal to



consider the application irrespective of the fact whether the legal representative concerned was fully dependent on the deceased and not to limit the claim towards conventional heads only. The evidence on record in the present case would suggest that the claimants were working as agricultural labourers on contract basis and were earning meagre income between Rs 1,00,000 and Rs 1,50,000 per annum. In that sense, they were largely dependent on the earning of their mother and in fact, were staying with her, who met with an accident at the young age of 48 years."

8. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत **बिरेन्दर (उपरोक्त)** के मामले में मृतक के विवाहित बालिग पुत्रों को विवाहित होने तथा आय अर्जित करने के बावजूद भी उन्हें पूर्णतया मृतक पर आश्रित माना गया है। इस मामले में भी अपीलार्थी संख्या-2 व 3 मृतक के बालिग पुत्र हैं, जिन्हें विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक पर आश्रित नहीं मानकर त्रुटि कारित की है। इन परिस्थितियों में हम, **बिरेन्दर (उपरोक्त)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक के व्यस्क पुत्रों को भी मृतक पर आश्रित होना मानते हुए वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया जाना उचित समझते हैं। तदनुसार निर्धारित मासिक आय 7,500/- रुपये का $1/4$ भाग 1,875/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 5,625/- रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आयु 67 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की 67 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 5 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 5,625/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $5,625 \times 12 \times 5 = 3,37,500$ /- रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।



9. विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 44,000/— रुपये (कुल 1,76,000/— रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 48,000/— रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 4 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 48,000/— रुपये (कुल 1,92,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 16,500/— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 16,500/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000—18,000/— रुपये (कुल 36,000/— रुपये) की राशि उक्त मदों में अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा परिवहन की मद में 5,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है जो प्रणय सेठी (उपरोक्त) के आलोक में देय नहीं है।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—



क्रम सं.	शीर्ष / मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	3,37,500 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में (प्रत्येक अपीलार्थी को 48,000 /— रुपये)	कुल 1,92,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		5,65,500 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		5,14,000 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		51,500 /—

13. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **5,14,000 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **5,65,500 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J